उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

05/7/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित

वादी जवाब के स्वीकार किया जाता है

विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर

पत्रावली शामिल की। पत्रावली पर नतीजा प्रपत्र

के अन्दर के बाद पत्रावली जिला रिकॉर्ड

रूम में शामिल हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
242/24	08.11.2024	04.07.2025

बउनवान

1. कैलाश चन्द पुत्र श्री प्रसादीलाल जाति मेघवाल निवासी सिरोड खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. सविता रानी पत्नी कृष्ण कुमार जाति चमार निवासी सिरोड खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री रणवीर सिंह यादव :– वकील वादी

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख0 न0 हाल 860 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम सिरोड खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है।
2. यह है कि विवादित आराजी वादी के कब्जा कारत एवं खातेदारी की रही है और मौके पर वादी काबिज काश्त रहे है आराजी मुतनाजा में से 1/2 भाग जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के दिनांक 28/08/2024 को पतिवादीया सं0 1 को वादी द्वारा बेचान कर दिया गया था उक्त बेचान के बाद उक्त बैयनामा दिनांक 28/8/2024 के आधार पर स्वतः दिनाक 28/08/2024 को ऑन लाईन इंतकाल सं0 98 केता के पक्ष में दर्ज व गजूर हो गया जिसका अमल राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम का 1/2 भाग पर हो गया था।
3. यह है कि उक्त बैयनामा दिनांक 28/08/2024 के आधार पर ऑन लाईन इतकाल दर्ज होने के बाद प्रतिवादीया ने जानकारी के अभाव में वैयनामा इतकाल दर्ज कराने के लिये ग्राम पंचायत सरायकला में पेश किया ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत सरायकलां एवं पटवारी हल्का ने बिना जांच पडताल किये ही तथा कथित बैयनामा दिनाक 28/08/2024 को इतकाल नं0 101 दिनाक 09/09/2024 को दर्ज व मजूर कर दिया इस प्रकार आराजी ख0 न0 860 रकबा 0.48 है0 सालिम भाग पर प्रतिवादीया स0 1 का नाम विधि विरुद्ध एवं खिलाफ मौका इन्द्राज कर दिया गया।

4. यह है कि आराजी मुतनाजा ख0 न0 860 रकबा 0.48 हैव0 में से 1/2 भाग (0.24 है०) का बेचान वादी द्वारा प्रतिवादीया स0 1 को किया गया था जबकि राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीया स0 1 के नाम राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती के कारण आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज कर दिया गया है।
5. यह है कि आराजी मुतनाजा वादी की खातेदारी की रही है वादी मौके पर अपने 1/2 भाग पर काबिज है एव आराजी के 1/2 भाग पर खरीद के आधार पर प्रतिवादीया सं० 1 काबिज है बैयनामा दिनाक 28/08/2024 क आधार पर खिलाफ कानून एवं खिलाफ मौका इतकाल स० 101 गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि वैयनामा के आधार पर खरीद शुदा रकबा का इतकाल स0 98 पूर्व में प्रतिवादीया स0 1 के पक्ष में दिनाक 28/08/2024 को ख0 न0 860 के 1/2 भाग का दर्ज हो चुका था एक ही वैयनामा के आधार पर दो इंतकाल राजस्व विभाग द्वारा गलत दर्ज किये गये है जो हर सूरत में काबिल निरस्त है आराजी मुतनाजा ख0 न० 860 रकबा 0.48 है0 के बैयनामा दिनाक 28/08/2024 के आधार पर इतकाल सं0 101 दिनाक 09/09/2024 वादी के अधिकारों के खिलाफ नल एण्ड वाईड है नल एण्ड वाईड करार दिलाया जावे एवं वादी को उक्त आराजी के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस हद तक प्रतिवादीया सं0 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी के नाम का अमल दर्ज किया जावे।
6. यह है कि आराजी मुतनाजा की नाप तौल करने व वादी व प्रतिवादीया के बीच पत्थर गढ़ी के लिये राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त की तो दिनांक 25/09/2024 को इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी है इस पर वादी ने प्रतिवादीया स0 1 से इस बावत बात की तो प्रतिवादीया सं0 1 ने राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करने से मना कर दिया कि इसके लिय अदालत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ही सक्षम है वहीं से आदेश कराने पडेगें इस पर वादी राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त की एवं मिली कानूनी सलाह के अनुसार वाद पेश किया जाना लाजिमी आया है।
7. यह है कि आराजी मुतनाजा की नाप तौल करने व वादी व प्रतिवादीया क बीच पत्थर गढ़ी के लिये राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त की तो दिनाक 25/09/2024 को इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी है इस पर वादी ने प्रतिवादीया स0 1 से इस बाबत बात की तो प्रतिवादीया स0 1 ने

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करने से मना कर दिया बस यही विनायदावी व विनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा दायर किया जा रहा है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज इस आशय की फरमायी जावे कि आराजी मुतनाजा ख0 नं0 860 रकवा 0.48 है0, के वैयनामा दिनांक 28/08/2024 के आधार पर इंतकाल सं० 101 दिनांक 09/09/2024 वादी के अधिकारों के खिलाफ नल एण्ड वाईड है नल एण्ड वाईड करार दिलाया जावे एवं वादी को उक्त आराजी के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस हद तक प्रतिवादीया सं0 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी के नाम का अमल दर्ज किया जावे।

(ब) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर ईकबाल जबाव दावा पेश किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श – 1 इन्तकाल नम्बर 98, प्रर्दश–2 इन्तकाल नम्बर 2 इन्तकाल नम्बर 101, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2078, प्रदर्श–4 बैयनामा दिनांक 28.08.2024 पेश किया गया।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी वादी ने प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का बेचान किया गया था। वक्त बैयनामा ही विक्रय किये गये हिस्से का इन्तकाल ऑनलाईन क्रेता के नाम दर्ज व स्वीकार हो गया विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर वादी का कब्जा है। जिसके बाद हल्का पटवारी द्वारा बिना सही जॉच करे ही प्रतिवादी संख्या 01 के नाम शेष 1/2 हिस्से का भी नामान्तकरण क्रेता प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया गया। जो गलत है क्योकि वादी ने विवादित आराजी में से 1/2 हिस्से का ही बेचान किया गया था ना कि पूरे रकबे का। इसलिए वादी का वाद को स्वीकार किया जाकर वादी को 1/2 हिस्सा को दुरूस्त किया जावें।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को 1/2 हिस्से का ही जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा करवाया गया था। नामान्तकरण संख्या 98 ऑनलाईन

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रक्रिया के अनुसार नामान्तकरण 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज व स्वीकार हो गया था। हल्का पटवारी द्वारा बिना सही जॉच करे ही शेष रकबा का नामान्तकरण संख्या 101 दर्ज कर दिया गया जो गलत है। इसलिए वादी का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

वाद वादी के उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है, वाके ग्राम सिरोड खुर्द तह0 मुण्डावर के आराजी ख0 नं0 860 रकबा 0.48 है0 के 1/2 भाग का वादी को खातदेार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में हो रहे 1/2 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
242 / 24	08.11.2024	04.07.2025

बउनवान

1. कैलांश चन्द पुत्र श्री प्रसादीलाल जाति मेघवाल निवासी सिरोड खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— वादी

बनाम

1. सविता रानी पत्नी कृष्ण कुमार जाति चमार निवासी सिरोड खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 04.07.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :—**

वाके ग्राम सिरोड खुर्द तह0 मुण्डावर के आराजी ख0 नं0 860 रकबा 0.48 है0 के 1/2 भाग का वादी को खातदेार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में हो रहे 1/2 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सही/-
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner